5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

माननीय न्यायालय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल केन्द्र ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक – /2017 निगरानी

PBR/निगरानी/शाजापुर/भू.रा/2017/4424

प्रार्थी अभिभाषक श्री ए. आर. यादव
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 17-10-17

अधीक्षक 17/10/17
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

इकबाल एहमद पिता इब्राहिम
निवासी ग्राम मगरिया कृषक ग्राम बायड़ा तहसील व जिला शाजापुर म.प्र. —— आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन —— अनावेदक

पुनरीक्षण प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं

माननीय महोदय,

अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर जिला शाजापुर के प्र.क्र. 01–पुर्न/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 04–09 2017 से असंतुष्ट एवं दुखित होकर निगरानी अंदर अवधि प्रस्तुत है :–

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पीबीआर / निगरानी / शाजापुर / भूरा / 2017 / 4424

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2–1–2018	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर जिला शाजापुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–9–2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जो पुनर्विलोकन के आधार बताये हैं वह अभिलेख के विपरीत होने से अधीनस्थ न्यायलय द्वारा पुनर्विलोकन आवेदन अमान्य किया है । आवेदक को अपील में जाने का उपचार उपलब्ध है । अतः प्रथमदृष्टया यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	